Cosmo First
Ahead Always

CFL/SE/2024-25/JUNE/02 **June 06, 2024**

The Manager (Listing) BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001 **Scrip Code: 508814**	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra – Kurla Complex Mumbai-400 051 **Security ID: "COSMOFIRST"**

Sub: Notice to Shareholders under IEPF Rules

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisement published in today's Business Standard (English and Hindi) newspaper for attention of Shareholders of the Company in respect of transfer of equity shares on which dividend have not been claimed for the last 7 consecutive years to IEPF Authority.

You are requested to take the same on your records.

Thanking You

Yours faithfully
For **Cosmo First Limited**
(Formerly Cosmo Films Limited)

JYOTI DIXIT

Digitally signed by JYOTI DIXIT
DN: c=IN, postalCode=201304, st=UTTAR PRADESH, street=FLAT NO 103 EH III FIRST FLOOR ELDECO UTOPIA SEC 39A NOIDA, l=GAUTAM BUDDHA NAGAR, o=Personal, serialNumber=f76a1dd2fff7dbd9724348d198767c6102048a1d16e09468dfca8de505600471, pseudonym=5098e483efaf425aae1eebf1a8fa5cf5, 2.5.4.20=8a4056dca7fa02b4891bc5b6ad053178c174c64e6aa07f8299b7464f3f1d96b4, email=JYOTI.DIXIT@COSMOFIRST.COM, cn=JYOTI DIXIT
Date: 2024.06.06 11:27:40 +05'30'

Jyoti Dixit
Company Secretary & Compliance Officer

Cosmo First
Ahead Always

COSMO FIRST LIMITED

(Formerly Cosmo Films Limited)

Regd. Off: 1st Floor, Uppal's Plaza, District Centre, M-6, Jasola, New Delhi-110025
CIN: L92114DL1976PLC008355 Tel: 011-49494949 Fax: 011-49494950
E-mail: investor.relations@cosmofirst.com, Website: www.cosmofirst.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

SUBJECT: REMINDER TO CLAIM THE DIVIDENDS REMAINING UNPAID/ UNCLAIMED AND TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE IEPF AUTHORITY

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provision of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules) and subsequent amendment thereto, the dividend declared for the financial year 2016-17, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF on or after September 10, 2024. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedures set out in the rules.

The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is specific order of Court/tribunal restraining transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

In compliance to the IEPF Rules, the company has communicated individually to the concerned shareholders and details of shares liable to be transferred to IEPF are also available on our website. Shareholders concerned may refer to the web-link https://www.cosmofirst.com/investors/shareholders-information to verify the details of their shares liable to be transferred to IEPF authority.

Shareholders are requested to claim the dividend declared for the financial year 2016-17 and onwards before the same is transferred to the IEPF.

Concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the Demat account of the IEPF. Shareholders may note that both unclaimed dividend and shares once transferred to IEPF authority can be claimed from the IEPF authority after following the procedures prescribed under the IEPF Rules (refer the IEPF website http://www.iepf.gov.in) and no claim shall lie against the company.

In case the Company does not receive any communications from the concerned shareholders on or before September 02, 2024, the Company shall credit those shares/ dividend with the IEPF authority. Kindly note that all future benefits, dividends arising on such shares would also be transferred to IEPF authority.

For any queries on the subject matter, you may e-mail us at investor.relations@cosmofirst.com or contact the Company's Registrar and Transfer Agent, Alankit Assignments Limited at 4E/2, Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi -110055, Email: rta@alankit.com.

For Cosmo First Limited
(Formerly Cosmo Films Limited)
Sd/-
Jyoti Dixit
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: June 06, 2024

National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com and on the Company's website at www.raymond.in. The Company has engaged the services of NSDL for providing facility of voting through remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM and e-voting during the AGM.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard– 2 on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India:

a) The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the 99th AGM dated May 3, 2024.

b) Day, Date and time of commencement of remote e-voting: Sunday, June 23, 2024 at 09:00 a.m. (IST).

c) Day, Date and time of end of remote e-voting: Wednesday, June 26, 2024 at 5:00 p.m. (IST).

d) Cut-off Date for remote e-voting: Thursday, June 20, 2024.

e) Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of AGM Notice and holds shares as on the Cut-off Date i.e. June 20, 2024, should follow the instructions for e-voting as mentioned in the AGM Notice.

f) The Members who will be attending the AGM through VC/OAVM and who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights through e-voting system at the AGM.

g) The Members are requested to note that:

i. Remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5:00 p.m. on Wednesday June 26, 2024;

ii. The Members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and

iii. Members holding shares in physical or in dematerialized form as on June 20, 2024, shall be entitled to vote.

Members will have an opportunity to cast their vote remotely or during the AGM through electronic voting system on the businesses as set forth in the Notice of the AGM. The manner of voting remotely or during the AGM for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and who have not registered their email addresses have been provided in the Notice convening the AGM. Instructions for attending the AGM through VC/OAVM are also provided in the Notice of AGM.

Members holding shares in physical mode who have not registered their e-mail addresses with the Company/Link Intime India Private Limited/Depositories, they may do so by sending a duly signed request letter to Link Intime India Private Limited by providing Folio No., Name of the Shareholder, email ID and mobile number at (UNIT: Raymond Limited), C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400083, Tel: 022-49186000 or by sending a scanned copy of the signed request letter on e-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in. Members holding shares in demat mode are requested to contact their Depository Participant ("DP") and register their e-mail address in the demat account as per the process advised by their DP.

For any query relating to attending the AGM through VC/OAVM or remote e-voting or voting during the AGM, Members may write to Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager- NSDL, Phone No.: 022-4886700 or email: evoting@nsdl.com OR Shri Rakesh Darji, Company Secretary, Raymond Limited, Jekegram, Pokharan Road No.1, Thane (West)– 400 606, Ph. No. 022-61527000 or email corp.secretarial@raymond.in.

The Company has appointed Mr. Dinesh Deora or in his absence Mr. T. Kaushik, Partners at DM Associates Company Secretaries LLP as the Scrutinizer for overseeing/conducting the voting process in a fair and transparent manner.

The result of the e-voting / voting at AGM shall be declared within two working days of conclusion of the AGM. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be available at the Company's Registered Office and also placed on the Company's website, website of NSDL and communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

By Order of the Boa
For Raymond Limit
Sd
Rakesh Da
Company Secreta

Date: June 6, 2024
Place: Thane

Cosmo First
Ahead Always

कोस्मो फर्स्ट लिमिटेड

(पूर्व में कोस्मो फिल्म्स लिमिटेड)

पंजी. कार्या.: प्रथम तल, उप्पल्स प्लाजा, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, एम–6, जसोला, नई दिल्ली–110025
CIN: L92114DL1976PLC008355 फोन: 011–49494949 फैक्स: 011–49494950
ई–मेल: investor.relations@cosmofirst.com, वेबसाइट: www.cosmofirst.com

कंपनी के शेयरधारकों के लिए सूचना

विषय: अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश के दावे के लिए रिमाइंडर और आईईपीएफ प्राधिकारी को इक्विटी शेयरों का अंतरण

शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम) और उसके अधीन अनुवर्ती संशोधन के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान घोषित लाभांश जो सात वर्षों की अवधि से अदावाकृत है, उसे 10 सितम्बर, 2024 को या उसके बाद आईईपीएफ के पास जमा किया जाएगा। संगत शेयर जिन पर निरंतर सात वर्षों की अवधि के लिए लाभांश अदावाकृत है, उन्हें भी नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अंतरित किया जाएगा।

कंपनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित नहीं करेगी जहां ऐसे शेयरों के अंतरण पर किसी भी न्यायालय/अधिकरण ने रोक लगाने का विशेष आदेश दिया हो या जहां शेयर डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 के अधीन रेहन/बंधक हैं।

आईईपीएफ नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने ऐसे सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने वाले ऐसे शेयरों का विवरण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने वाले अपने शेयरों के विवरणों के सत्यापन के लिए वेब–लिंक https://www.cosmofirst.com/investors/shareholders-information को देख सकते हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है किया जाता है कि आईईपीएफ को ऐसे किसी अंतरण से पूर्व वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं उससे आगे की अवधि के दौरान घोषित लाभांश का दावा कर लें।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर भौतिक प्रारूप में धारित है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे शेयरों के जारी होने पर कंपनी डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डिमेट प्रारूप में बदलने और आईईपीएफ के पक्ष में अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत है, बाद में स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और गैर–विनिमेय माने जाएंगे।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में है, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ के डिमेट खाते में शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। शेयरधारक कृपया नोट करें कि अदावाकृत लाभांश एवं शेयर एक बार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने के बाद आईईपीएफ नियमों (आईईपीएफ वेबसाइट http://www.iepf.gov.in देखें) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दावा कर सकते हैं और इस संबंध में कंपनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 02 सितम्बर, 2024 तक या उससे पूर्व कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है जो कंपनी ऐसे शेयरों/लाभांश को आईईपीएफ प्राधिकरण के पास जमा कर देगी। कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरों पर भविष्य में उपार्जित सभी लाभ, लाभांश भी आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिये जाएंगें।

इस विषय में किसी भी पूछताछ के लिए आप investor.relations@cosmofirst.com पर ई–मेल भेज सकते हैं या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, अलंकित एसाइमेंट्स लिमिटेड, 4ई/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली –110055, ई–मेल: rta@alankit.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते कोस्मो फर्स्ट लिमिटेड
(पूर्व में कोस्मो फिल्म्स लिमिटेड)
हस्ता/–
ज्योति दीक्षित
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 06 जून, 2024

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

रिवाइटल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी में) के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	रिवाइटल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी में)
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	06 अप्रैल, 2011
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70101DL2011PTC217124
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** 1114, हेमकुंट चेम्बर्स 89, नेहरू प्लेस, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली–110019 **साइट कार्यालय: "सुपरटेक बसेरा"** सैक्टर–79 और 79 बी, मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा, 122001 **कॉर्पोरेट कार्यालय:** ई स्क्वायर, प्लॉट नं. सी 2, 21वीं से 25 वीं मंजिल, सैक्टर 96, नोएडा, उत्तर प्रदेश –201303
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	**04 जून 2024** (माननीय एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश की तारीख होने के नाते)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	**01 दिसंबर 2024**
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**गौरव कटियार** **पंजी. सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-2018/10409 **एएफए वैध : 15 नंवबर 2024 तक**
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	डी–32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065 **ईमेल :** cagauravkatiyar@gmail.com **वेबसाइट :** www.gauravkatiyar.in
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	डी–32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065 **ईमेल :** revital.cirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**18 जून, 2024**
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	रियल एस्टेट परियोजना **"सुपरटेक बसेरा"** के अंतर्गत
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिहि्नत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	**(1) श्री दीपक कुमार गोयल** **पंजी. सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P-02490/2022-2023/14143 (2) श्री ...

ई-मेल: investorgrievance@jtekt.co.in, वेबसाइट: www.jtekt.co.in

सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 ("नियमावली"), यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसरण में, ऐसे सभी शेयर जिनके संबंध में विगत सात अथवा अधिक लगातार वर्षों से लाभांश का भुगतान अथवा मांगदावा नहीं किया गया है, जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") द्वारा, अधिनियम की धारा 125 के प्रावधानों के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि ("निधि") को अंतरित किए जाने अपेक्षित हैं।

इस संबंध में कम्पनी उन सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रेषित कर चुकी है, जिनके द्वारा विगत सात लगातार वर्ष से उनके लाभांश हेतु मांगदावा नहीं किया गया है। ऐसे शेयरधारकों का नाम उनके फोलियो नम्बर/डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी सहित कम्पनी की वेबसाइट www.jtekt.co.in पर "Investors Relations" सेक्शन के तहत उपलब्ध है। यदि संबंधित शेयरधारक अपने शेयरों का अंतरण उक्त निधि के नाम में किए जाने से रोकने का इच्छुक है, ऐसे शेयरधारक(कों) से पूर्ववर्ती सात वर्षों में से किसी भी वर्ष हेतु अदत्त अथवा अ–मांगदावा कृत लाभांश हेतु मांगदावा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध है। वह विधि, जिसमें कोई शेयरधारक अदत्त/अ–दावाकृत लाभांश की मांग कर सकता है, शेयरधारक को व्यक्तिशः प्रेषित सूचना में दी गई है।

संबंधित शेयरधारकों से, व्यक्तिशः प्रेषित सूचना दी गई विधि में और समयावधि के भीतर, कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, कम्पनी अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए उपरोक्त शेयर निधि के नाम में अंतरित कर देगी।

कोई व्यक्ति, जिसके शेयर/अदत्त लाभांश निधि को अंतरित किया जाता है, वह अधिनियम की धारा 124 एव 125 तथा नियमावली के प्रावधानो का अनुसरण करते हुए वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध प्रपत्र आईईपीएफ–5 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर तथा उसकी एक प्रति कम्पनी को भेजकर, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से शेयरों/लाभांश की मांग कर सकता है।

इस विषय में किसी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, संबंधित शेयरधारक investorgrievance@jtekt.co.in पर कम्पनी को लिख सकता है अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31–32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032 – श्री राजीव कुमार, ई–मेल आईडी rajeev.kr@kfintech.com से सम्पर्क कर सकता है।

वास्ते जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

स्थान : गुरूग्राम
तिथि : 05.06.2024

सौरभ अग्रवाल
कम्पनी सचिव

IndiaShelter Home Loans

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉप

पंजीकृत कार्यालय : प्लाट–15, 6टा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशन
शाखा कार्यालय : शिव गौरी प्लाजा, अखिलीया सर्कल, जो

अचल संपत्ति हेतु कब्जा सू

जबकि अद्धोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्त
(प्रतिभूति) हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठि
वर्णित खातो के विरुद्ध सूचना में लिखित दिनांक पर एक मांग सूचना जारी कर निम्न उल्लेखित उधारकर्ता और संपत्ति
को उक्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया। चूंकि संपत्ति मालिक और अन्
सर्व सामान्य को सूचना दि जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने निम्न वर्णित संपत्ति/यों का उक्त अधिनियम की धारा 13(
प्राप्त शक्तियों के प्रयोग में सूचना में उल्लेखित दिनांक पर प्रत्येक खाते के विरुद्ध संपत्ति का कब्जा ले लिया है, विशेष
किया जाता है कि वह संपत्ति/यों से कोई लेन–देन न करें संपत्ति/यों के साथ कोई भी लेन–देन भविष्य के ब्याज
लिमिटेड प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/गारंटर का नाम (संपत्ति मालिक) और ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधक संपत्ति का विवरण (निर्मित संपत्ति का संपूर्ण और सर्वागीण भाग)	
श्री/श्रीमती लक्ष्मी, सुनिल माली और सुरजमल माली निवासी पता : वार्ड सं. 29, कैशव नगर, फालौदी जौधपुर 342301 राजस्थान ,**इसके अलावा पता :** प्लॉट सं. बी–20 ता उत्तरी भाग, वार्ड सं. 29, कैशव नगर, फालौदी जोधपुर 342301 राजस्थान **ऋण खाता संख्या–** **LA34CLLONS000005039574** **(AP-10084805)**	संपत्ति आवासीय प्लॉट सं. बी–20, (शेष भाग का उत्तरी भाग), मोहल्ला कैशव कुठिया, फालौदी, तहसील/जिला–जौधपुर (राजस्थान) का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन:– उत्तर : मुख्य भूमि से 20 फुट रास्ता ,दक्षिण : प्लॉट सं. बी–20 क्षेत्र 1612 जो कि उपहार विबेख निर्वाहक श्री सूरज मल माली, उनके भाई श्री धनराज और उनकी माता श्रीमती राधा जिनके पास अधिकार है., पूर्व : 30 फुट रास्ता, पश्चिम : अन्य की भूमि	मांग इक चार्ल 11 प्रभा

कोई भी जानकारी हेतु कृपया संपर्क करें श्री विनय राणा (+91 7988605030) और श्री किशन सिंह (+91

स्थान : राजस्थान / दिनांक : 06.06.2024

वरुण बेवरेजेज़ लिमि

VARUN BEVERAGES

पंजीकृत कार्यालय: एफ–2/7, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -I, नई
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 31, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर – 44
दूरभाष: +91 124 4643100, ई–मेल: complianceofficer@rjcorp.i
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L74899DL1995PLC069839

सूचना

विषय: निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि ("आईईपीएफ
न किए गए लाभांश और संबंधित इक्विटी शेयरों

संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण औ
साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ–साथ घो
लिए दावा न किए गए अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरण और संबंधित इक्विटी शेयर
उससे अधिक समय तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, को आईईपीएफ खाते में स्थान
उपर्युक्त नियमों के अनुपालन में, सभी पंजीकृत इक्विटी शेयरधारकों, जिनका लाभांश (
लगातार सात वर्षों से बिना दावे के पड़ा हुआ है और संबंधित इक्विटी शेयर आईईपीएफ ख
अलग से सूचना भेजी गयी है। ऐसे इक्विटी शेयरधारकों (डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी/
वेबसाइट https://varunbeverages.com/wp-content/uploads/2024/06/IEPF-S
उपर्युक्त इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे दावा न किए गए लाभांश राशि का
लिमिटेड, रजिस्ट्रार एवम कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") को उपर्युक्त सूचना के
सितंबर, 2024 को या उससे पहले वैध दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी बिना किसी और
और संबंधित इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित करने के लि